



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2013—आश्विन 11, शक 1935

पिछळा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 6-5-2009-चौवन-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 6-5-2009-चौवन-1, दिनांक 7 मई 2013 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

क्र. (1)	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह (2)	परम्परागत व्यवसाय (3)	कैफियत (4)
12	दीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/ नावडा/तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, राथकवार, बाथम), कीर, ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगराहा, जालारी, सोंधिया	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल-गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना,	1. बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियाँ हैं। इसी रूप में सम्मिलित किया गया है। 2. राजगढ़, गुना, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, धार, इन्दौर, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में निवासरत सोंधिया जाति का परम्परागत व्यवसाय कृषि कार्य एवं पशुपालन है। (इसमें राजपूत शामिल नहीं होंगे)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरंजना रे, अपर मुख्य सचिव.